"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 जुलाई 2016—आषाढ़ 24, शक 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती रेखा करटाम पति श्री सुखदेव करटाम, आयु 43 वर्ष, निवासी-बैंक कालोनी, टाइप 2/एस. एस. 489, बचेली, थाना बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति श्री सुखदेव करटाम के एन. एम. डी. सी. डिपोजिट 5 बचेली के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश श्रीमती मंगली करटाम दर्ज हो गया है जो गलत है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती रेखा करटाम रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती रेखा करटाम पति श्री सुखदेव करटाम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

श्रीमती मंगली करटाम
पति श्री सुखदेव करटाम
निवासी- बैंक कालोनी, टाइप 2/एस. एस. 489, बचेली
थाना बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती रेखा करटाम
पति श्री सुखदेव करटाम
निवासी- बैंक कालोनी, टाइप 2/एस. एस. 489, बचेली
थाना बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती प्रेमी बाई कुर्रे पति श्री गोपाल कुर्रे, उम्र 49 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 1/डी, जोन-1, खुर्सीपार, भिलाई, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति श्री गोपाल कुर्रे के बी. एस. पी. के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम श्रीमती प्रेमी बाई दर्ज हो गया है जो कि अधूरा है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम "कुर्रे" जोड़कर नया नाम प्रेमी बाई कुर्रे रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती प्रेमी बाई कुर्रे पति श्री गोपाल कुर्रे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

श्रीमती प्रेमी बाई
पति श्री गोपाल
निवासी-क्वा. नं. 1/डी, जोन-1, खुर्सीपार, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती प्रेमी बाई कुर्रे
पति श्री गोपाल कुर्रे
निवासी-क्वा. नं. 1/डी, जोन-1, खुर्सीपार, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, वासुदेव वाघमारे पिता श्री पूनाजी वाघमारे, उम्र 51 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 6-डी., सड़क नं. 16, सेक्टर 5, भिलाई, सिविक सेन्टर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे बी. एस. पी. के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम वासुदेव अंकित है जबकि मेरे आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पैन कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, बैंक पासबुक एवं समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम वासुदेव वाघमारे अंकित है. मैं अपने नाम के साथ सरनेम "वाघमारे" जोड़कर नया नाम वासुदेव वाघमारे रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी कि समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे वासुदेव वाघमारे पति श्री पूनाजी वाघमारे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

वासुदेव
पिता श्री पूनाजी
निवासी-क्वा. नं. 6-डी., सड़क नं. 16, सेक्टर 5, भिलाई
सिविक सेन्टर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

वासुदेव वाघमारे
पिता श्री पूनाजी वाघमारे
निवासी-क्वा. नं. 6-डी., सड़क नं. 16, सेक्टर 5, भिलाई
सिविक सेन्टर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 10 जून 2016

प्र. क्र. /ब-113 (1)/वर्ष 2015-16

क्रमांक/79/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2016.— आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री आदित्य महेश्वरी आत्मज श्री देवेन्द्र कुमार पता-डागा बिल्डिंग मोतीबाग चौक रायपुर द्वारा "श्री ग्वाल चन्द्रप्रभा डागा चेरिटेबल ट्रस्ट, पता-कार्यालय भवन क्रमांक 423 डागा बिल्डिंग मोतीबाग चौक रायपुर तहसील व जिला रायपुर" का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है :-

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	"श्री ग्वाल चन्द्रप्रभा डागा चेरिटेबल ट्रस्ट, पता-कार्यालय भवन क्रमांक 423 डागा बिल्डिंग मोतीबाग चौक रायपुर तहसील व जिला रायपुर"
(2)	चल संपत्ति	:	11,000/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से 20-07-2016 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गए आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 10-06-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

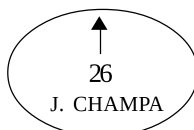
बी. एल. गजपाल,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

वन मण्डलाधिकारी जांजगीर-चाम्पा वनमण्डल, चाम्पा (छ. ग.)

चाम्पा, दिनांक 13 जून 2016

आ. क्र. /स्था. /95.— वन परिक्षेत्र अधिकारी सक्ती ने अपने पत्र पृ. क्र./270 दिनांक 27-05-2016 द्वारा सूचित किया है कि बीट हेमर सलिहाभाठा जिसे वनपाल श्री गोपाल प्रसाद खैरवार को प्रदाय किया गया था, जिसे उनके द्वारा गुमा दिया गया है. हेमर की खोज के समस्त प्रयास असफल रहे हैं.



अत: वन वित्तीय नियम 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए गुमशुदा बीट हेमर को अभिलेख से अपलेखित किया जाता है. बीट हेमर की कीमत स्टोर स्टॉक रजिस्टर अनुसार 800/- श्री गोपाल प्रसाद खैरवार, वनपाल से वसूली का आदेश दिया जाता है तथा शासकीय कार्य में लापरवाही के लिये उन्हें चरित्रावली चेतावनी दी जाती है, एवं भविष्य के लिये सचेत किया जाता है.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हेमर मिले तो हेमर को निकटतम थाना अथवा वनमंडल कार्यालय में जमा करावें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हेमर को अनाधिकृत रूप से रखने का प्रयोग में लाते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

प्रभात मिश्रा,
वन मण्डलाधिकारी.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 17 जून 2016

[छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (ख) के अंतर्गत]

क्र. /उपंबि/परि./2016/2005.—कृषि एवं पशुपालन बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर (छ. ग.) पंजीयन क्रमांक 347 दिनांक 31-03-2016 द्वारा दैनिक समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" बिलासपुर में दिनांक 20-04-2016 को संस्था में विभिन्न 32 पदों पर कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया. उक्त विज्ञापन को संज्ञान में लेते हुए कि संस्था नवीन पंजीकृत है, उनके द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है एवं संस्था में कर्मचारियों की भर्ती/नियुक्ति के संबंध में सेवा नियम पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. द्वारा स्वीकृत नहीं है, अत: संस्था में कर्मचारियों की भर्ती हेतु जारी विज्ञापन नियम विरुद्ध कृत्य है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबि/पंजीयन/2016/1473 दिनांक 24-4-2016 द्वारा संस्था के संचालक मंडल (द्वारा अध्यक्ष) को उक्त कृत्य तत्काल रोकते हुए संबंधितों को सूचित करने के निर्देश दिये गये. साथ ही इस संबंध में दिनांक 3-5-2016 को समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये.

दिनांक 3-05-2016 को अध्यक्ष सहित संचालक मंडल के 09 सदस्यों ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि उनके द्वारा भर्ती प्रक्रिया दिनांक 27-4-2016 को रोक दी गई है. लिखित स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत किया गया, साथ ही मौखिक कथन किया गया कि जानकारी के अभाव में उक्त कार्यवाही की गई है. संचालक मंडल द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं कथन को स्वीकार करते हुए उन्हें कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबि/पंजीयन/2016/1556 बिलासपुर दिनांक 04-5-2016 द्वारा इस प्रकार के कृत्य न करने भविष्य के लिए चेतावनी देते हुए निर्देशित किया गया कि प्रथमत: संस्था की उपविधि अनुरूप कार्य प्रारंभ करें एवं कार्य की आवश्यकता एवं प्रकृति के अनुरूप तत्कालिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु दैनिक पारिश्रमिक पर कर्मचारियों की व्यवस्था कर सकते हैं. संस्था में पर्याप्त लाभ होने पर पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. से सेवायुक्तों हेतु सेवानियम स्वीकृति कराने के पश्चात ही नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकते हैं.

उक्त निर्देश के बाद भी संस्था द्वारा कर्मचारियों की भर्ती/नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखी गई जिसे संज्ञान में लेकर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबि/परि./2016/1859 बिलासपुर दिनांक 06-06-2016 द्वारा छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (ख) के तहत संचालक मंडल को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया एवं दिनांक 13-06-2016 को समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये. संचालक मंडल द्वारा दिनांक 13-06-2016 को समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया. प्रस्तुत स्पष्टीकरण का सार संक्षेप यह है "कि संस्था द्वारा किया जा रहा कार्य सहकारिता अधिनियम, नियम एवं संस्था के उपनियम के तहत है तथा किसी भी प्रकार के निर्देश/आदेशों की अवहेलना उनके द्वारा नहीं की गई है. कुछ लोगों द्वारा संस्था को बदनाम करने के लिए अनावश्यक शिकायत किया जा रहा है. अत: प्रकरण को समाप्त किया जावे."

संस्था के संचालक मंडल द्वारा प्रस्तुत जवाब/स्पष्टीकरण का परीक्षण किया गया. यह पाया गया कि संस्था द्वारा बिना सेवा नियम स्वीकृत कराये/बिना कार्य प्रारंभ किये निर्देशों की अवहेलना करते हुए कर्मचारी नियुक्ति की प्रक्रिया की जाना पाया गया जो कि नियम विरुद्ध कृत्य है. अत: प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक एवं समाधानकारक नहीं है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 4 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये कृषि एवं पशुपालन बहुउद्देशीय सहकारी समिति मार्या. बिलासपुर (छ. ग.) पंजीयन क्रमांक 347 दिनांक 31-03-2016, विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (ख) के तहत् परिसमापन में लाता हूँ तथा उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री अनिल कुमार बनज वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 16-6-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

डी. आर. ठाकुर,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.